सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 30.07.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से धारा 376 भादवि के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत धारा 376 भादवि** से सम्बन्धित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए **10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना : रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 : **327/2017**
धारा : 376 भादवि

दोषसिद्ध अभियुक्त- सन्तोष पासवान पुत्र हरि पासवान, निवासी बगथरी कला, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

माननीय न्यायालय, **एएसजे/एफटीसी/सीएडब्लू जनपद सोनभद्र** द्वारा अभियुक्त सन्तोष पासवान को **धारा 376 भादवि** के अपराध में **10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त अभियोग में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से सजा सुनिश्चित कराई गई।

सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के माध्यम से दोषियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।